[2025] 4 एस.सी.आर. 2742 : 2025 आई.एन.एस.सी. 814

नरेश कुमार सिन्हा

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(2025 की दीवानी अपील संख्या 4661)

02 अप्रैल 2025

[जे.के. महेश्वरी* और अरविंद कुमार, न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

क्या उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की सेवा समाप्त करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करके त्रुटि की है?

निर्णय-सार†

सेवा विधि – सेवा से समाप्ति – जब उचित न हो – अपीलकर्ता-लिपिक को इस आरोप में सेवा से समाप्त कर दिया गया था कि नियुक्ति आदेश एक अक्षम प्राधिकारी, उपनिदेशक, मानव संसाधन विकास विभाग (डीडीएचआरडी) द्वारा जारी किया गया था और वह अवैध था; और यह कि अपीलकर्ता ने नियुक्ति आदेश में जालसाजी की थी – उच्च न्यायालय द्वारा सेवा समाप्ति को बरकरार रखा गया – हस्तक्षेप:

अवधारित: सेवा समाप्ति का आदेश तथ्य और अभिलेख के आधार पर तर्कसंगत नहीं है – यह तर्क कि नियुक्ति आदेश डीडीएचआरडी द्वारा जारी किया गया था, गलत है क्योंकि नियुक्ति आदेश बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी किया गया था और अपर निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित था न कि डीडीएचआरडी द्वारा – इसके अतिरिक्त, केवल यह कोरा कथन कि नियुक्ति जाली दस्तावेज़ या धोखाधड़ी पर आधारित थी, पर्याप्त नहीं है – अपीलकर्ता ने नियमित रूप से 16 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया, विभाग द्वारा उसे

* लेखक

नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया गया, और इस प्रकार, उसने स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लिया है – नियुक्ति ज्ञापन जारी न होने का आरोप लगाने वाला किसी अधिकारी का मात्र पत्राचार ऐसी धोखाधड़ी को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से तब जब ऐसी नियुक्ति एक विज्ञापन के अनुसरण में की गई थी, और सेवाओं को समाप्त करते समय यह कहा गया है कि नियुक्ति आदेश अक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया था – धोखाधड़ी के आरोप का न तो अभिवचन किया गया और न ही इसे सिद्ध किया गया – यदि अभिलेख नहीं मिल रहा था, तो यह *स्वतः ही* नियुक्ति को जाली या मनगढ़ंत नहीं बना देगा – यदि विभाग की यह राय थी कि नियुक्ति आदेश अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, तो नियुक्ति आदेश जारी करने में कथित जालसाजी की जाँच के लिए एक जाँच आयोजित की जानी चाहिए थी – ऐसी किसी भी जाँच के अभाव में, सेवा समाप्ति की ओर ले जाने वाले धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप अनुचित हैं – उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त किया जाता है – सेवा समाप्ति के आदेश को अभिखंडित किया जाता है – अपीलकर्ता को 50% पिछले वेतन और सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाल किया जाए – धोखाधड़ी। (कंडिका 12, 15, 22, 24)

सेवा विधि – धोखाधड़ी के आधार पर सेवा से समाप्ति – विभाग द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना – प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना:

अवधारित: जब राज्य सरकार द्वारा जालसाजी या धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया हो, तो उसका कुछ आधार होना चाहिए – ऐसे मामलों में जहाँ बिना किसी आधार के धोखाधड़ी का केवल आरोप लगाया गया हो और फिर न्यायालय द्वारा उन आरोपों का आकलन करने के लिए अभिलेख मंगवाए गए हों, तो यह विभागाध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अवलोकन हेतु उन्हें प्रस्तुत करे – वर्तमान मामले में, यदि उक्त अभिलेख नहीं मिल रहा था, तो यह विभाग का कर्तव्य था कि वह उस व्यक्ति की पहचान करे जो ऐसे अभिलेख को गलत जगह रखने के लिए जिम्मेदार था, और चूक करने वाले व्यक्ति के खिलाफ इस संबंध में एक जाँच की

जानी चाहिए थी तथा उस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए था – इसके अभाव में, अभिलेख के न मिलने का मात्र तर्क अपर्याप्त है – इस प्रकार, कई अवसर दिए जाने के बावजूद, जिसके परिणामस्वरूप अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, तथ्यों के आधार पर उत्तरदाताओं के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला गया। (कंडिका 22)

शब्द और वाक्यांश – धोखाधड़ी – अर्थ और प्रभाव – चर्चा की गई। (कंडिका 17-20)

न्याय दृष्टान्त

राम चंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी एवं अन्य **[2003] अनुपूरक 4 एस.सी.आर. 543 : (2003) 8 एस.सी.सी. 319 – संदर्भित।**

लाजरस एस्टेट्स लिमिटेड बनाम बीस्ले **(1956) 1 क्यू.बी. 702;** *डेरी बनाम पीक* **(1889) 14 ए.सी. 337 – संदर्भित।**

उद्धृत पुस्तकें और पत्रिकाएँ

एडवांस लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण 2005, पी. रामनाथ अय्यर द्वारा।

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा समाप्ति; सेवा समाप्ति का आदेश; जालसाज़ी; धोखाधड़ी; कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना सेवा समाप्त करना; जाली नियुक्ति; जाली दस्तावेज़; नियुक्ति आदेश की प्रामाणिकता; अयोग्य प्राधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति आदेश; अभिलेख का पता न चलना; धोखाधड़ी का आरोप; धोखाधड़ी का आरोप न तो उठाया गया और न ही साबित किया गया; जाँच का अभाव; कारण बताओ नोटिस जारी करना; सेवा बहाली; पिछले वेतन सहित सेवा में बहाल; सेवा समाप्ति आदेश अभिखंडित; लिपिक; बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग; उप निदेशक, मानव संसाधन विकास विभाग; अपर निदेशक।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2025 की दीवानी अपील संख्या 46612018 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 379 में पटना उच्च न्यायालय के दिनांक 17.05.2019 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्तागणः

अनुराग सिंह, अनिल कुमार मिश्रा।

उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्ताः

मनीष कुमार।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

जे.के. महेश्वरी, न्यायमूर्ति

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलकर्ता पटना स्थित उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 17.05.2019 के उस आदेश को चुनौती देता है, जिसके द्वारा लैटर्स पेटेंट अपील संख्या 379/2018 को खारिज कर दिया गया था। उक्त लैटर्स पेटेंट अपील में, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार वाद संख्या 15852/2006 में दिनांक 20.02.2018 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें दिनांक 21.11.2005 के सेवा समाप्ति के आदेश पर प्रश्न उठाया गया था। इस प्रकार, आक्षेपित आदेशों द्वारा, अपीलकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया गया था।

3. विस्तृत विवरण को छोड़कर मुख्य तथ्य यह है कि दिनांक 22.06.1981 के विज्ञापन के अनुसरण में, अपीलकर्ता को दिनांक 24.06.1989 के आदेश के *माध्यम से* लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था, और एस.एम.टी. हाई स्कूल, वैशाली, बिहार में पदस्थापित किया गया था। उसने दिनांक 04.07.1989 को अपना योगदान प्रस्तुत

किया, जिसका प्रारंभ में प्रधानाध्यापक द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन बाद में उसे योगदान करने की अनुमति दी गई और उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। तत्पश्चात, अन्य विद्यालयों में स्थानांतरण होने पर, उसने डेढ़ दशक से अधिक समय तक कार्य किया। दिनांक 19.09.2005 को, जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना ने एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी नियुक्ति जाली थी और आदेश दिनांक 21.11.2005 के *माध्यम से* कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। ऐसी समाप्ति के विरुद्ध दायर अपील को भी दिनांक 13.10.2006 के आदेश के *माध्यम से* खारिज कर दिया गया था।

4. असंतुष्ट होने पर, विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की गई जिसे खारिज कर दिया गया। विनिर्दिष्ट आदेश याचिका के लंबित रहने के दौरान, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 27.07.2011 के आदेश के माध्यम से नियुक्ति आदेश की वास्तविकता के संबंध में प्रतिवेदन मांगा था। उक्त प्रतिवेदन एक शपथ पत्र के साथ दायर किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि नियुक्ति की मूल फाइल का पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन 10+2 माध्यमिक विद्यालयों में नवनियुक्त लिपिकों के स्थानांतरण से संबंधित फाइल मिल गई है। यह कहा गया था कि नियुक्ति का आदेश कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या 16440 दिनांक 02.12.1980 की शर्तों के उल्लंघन में जारी किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को खारिज करते हुए और उन कथनों का अवलंबन लेते हुए यह अवधारित किया कि नियुक्ति आदेश निदेशालय के स्तर पर जारी किया जा सकता था न कि उपनिदेशक, मानव संसाधन विकास विभाग (संक्षेप में "डीडीएचआरडी") के स्तर पर। इस प्रकार, अपीलकर्ता की नियुक्ति एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई थी और अवैध थी। इसके अतिरिक्त, आदेश की प्रेषण संख्या के संदर्भ में, यह देखा गया कि रजिस्टर लिपिकों के स्थानांतरण से संबंधित था जो मेल भी नहीं खाता है। अतः,

उसी प्रेषण द्वारा नियुक्ति जारी किए जाने के संबंध में अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इससे अपीलकर्ता की नियुक्ति वास्तविक नहीं हो जाएगी। इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और विनिर्दिष्ट आदेश याचिका को खारिज कर दिया।

5. ऐसी बर्खास्तगी से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने खंडपीठ के समक्ष आक्षेपित लेटर्स पेटेंट अपील दायर की, जिसे उसी प्रतिवेदन और शपथ पत्र का अवलंबन लेते हुए खारिज कर दिया गया, जिसमें खंडपीठ ने यह अवधारित किया कि अपीलकर्ता की नियुक्ति विभाग द्वारा उचित स्तर पर जारी नहीं की गई थी, इसलिए, इसे जाली पाया गया। तदनुसार, खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा।

6. राज्य द्वारा दायर प्रतिशपथ पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि डीडीएचआरडी स्कूलों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अक्षम था। इस प्रकार, जब नियुक्ति आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था, तो अपीलकर्ता ने अवैध रूप से पद धारण किया था और वह ऐसी धोखाधड़ी करने के बाद साम्य का दावा नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त, धोखाधड़ी या जालसाजी के मामले में, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन का तर्क विचारणीय नहीं है। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता और एक संजय कुमार सिन्हा के बारे में कहा गया था कि उन्हें तत्कालीन डीडीएचआरडी द्वारा दिनांक 24.06.1989 के विभिन्न नियुक्ति आदेश जारी करके नियुक्त किया गया था; हालाँकि, सत्यापन के दौरान, अनुभाग अधिकारी ने ऐसे आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। उक्त बहाने, 36 लिपिकों के स्थानांतरण आदेशों की जाँच करते समय यह पाया गया कि 12 की नियुक्ति 02.10.1980 से पहले हुई थी, 2 की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर हुई थी और 11 की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर हुई थी। अपीलकर्ता और एक अन्य सहित शेष 11 को भी स्थानांतरित पाया गया। उक्त संदर्भ में, प्रेषण रजिस्टर की जाँच की गई, लेकिन वह

मेल नहीं खाया। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, जब जाँच की गई, तो नियुक्ति की मूल फाइल उपलब्ध नहीं कराई गई और प्रधान सचिव के समक्ष केवल स्थानांतरण से संबंधित फाइल का एक हिस्सा प्रस्तुत किया गया। इसके आधार पर, यह कहा गया कि नियुक्ति आदेश, यदि कोई हो, जो स्थानांतरण आदेशों के साथ प्रेषित किया गया था, उसे वैध नहीं माना जा सकता। अतः, सेवा समाप्ति के आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप औचित्यपूर्ण नहीं है।

7. आक्षेपित निर्णय में, मानव संसाधन विकास विभाग के प्रधान सचिव द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का मात्र अवलंबन लेते हुए, अपीलकर्ता की सेवा समाप्ति के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा गया। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार, यह निर्दिष्ट किया गया था कि नियुक्ति निदेशालय स्तर पर जारी की जानी चाहिए थी न कि उपनिदेशक/डीडीएचआरडी स्तर पर। यह भी कहा गया है कि प्रेषण संख्या स्थानांतरण आदेश भेजने के रजिस्टर से मेल खाती है, न कि नियुक्ति आदेश भेजने के रजिस्टर से, इसलिए, नियुक्ति जाली प्रतीत होती है। इन आरोपों के साथ, यह कहा गया है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति जाली और मनगढ़ंत थी, इसलिए, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

8. इस मामले की कार्यवाहियों से यह प्रतीत होता है कि प्रतिशपथ पत्र और प्रत्युत्तर दाखिल किए जाने के बाद, आरोपों के पीछे के सत्य को उजागर करने के आशय से, दिनांक 22.01.2024 के आदेश के *माध्यम से* अपीलकर्ता की नियुक्ति और कार्यप्रणाली से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया गया था। बार-बार अवसर प्रदान किए जाने के बाद भी, उत्तरदाताओं ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। बाद में, दिनांक 12.02.2025 के आदेश के *माध्यम से* और समय प्रदान करते हुए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

"मामले के तथ्यों को देखते हुए, हम यह उचित समझते हैं कि

अभिलेख का पता लगाया जाए और उसे प्रस्तुत किया जाए। न्याय के हित में, हम अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए छह सप्ताह का और समय प्रदान करते हैं, जिसमें विफल रहने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकालते हुए उचित आदेश पारित किए जाएंगे।"

उपरोक्त आदेश के संदर्भ में, सुनवाई के दौरान, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभिलेख का पता नहीं चल पा रहा है, अतः न्यायालय इस मामले में आगे बढ़ सकता है।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और प्रतिशपथ पत्र के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं ने उस विज्ञापन के जारी होने पर विवाद नहीं किया है, जिसके अनुसरण में अपीलकर्ता को नियुक्त किया गया था। किसी विशिष्ट इनकार के अभाव में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद हुई थी। योगदान प्रस्तुत करने पर, उसे अपने कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी गई, बाद में, देवीपद चौधरी शहीद स्मारक (मिलर) स्कूल और अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया गया जहाँ उसने एक दशक से अधिक समय तक सेवा की। आश्चर्यजनक रूप से, 16 वर्षों से अधिक की सेवा के बाद, उसकी नियुक्ति आदेश की वास्तविकता पर प्रश्न उठाते हुए दिनांक 19.09.2005 को एक कारण बताओ सूचना जारी की गई थी। उसके द्वारा उत्तर दाखिल करने पर, धोखाधड़ी के आरोपों की कोई जाँच किए बिना और निर्धारित प्रक्रिया के बिना, अपीलकर्ता की सेवा समाप्त कर दी गई, जिसके कारण वर्तमान मुकदमा शुरू हुआ।

10. तथ्यों पर विचार करने के उपरांत, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति आर्यावर्त समाचार पत्र में दिनांक 22.06.1981 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में हुई थी और दिनांक 24.06.1989 के आदेश को बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा अपर निदेशक के हस्ताक्षर से जारी किया गया था और इसकी सूचना

डीडीएचआरडी द्वारा दी गई थी। अपीलकर्ता को योगदान करने की अनुमति दी गई थी, और बाद में उसे अलग-अलग स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था। कारण बताओ सूचना जारी करने के समय, वह पार्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिक्रम, पटना में लिपिक के रूप में पदस्थापित था और समाप्ति का आदेश पारित करते समय, वह उरेहन बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, बिहटा, पटना में लिपिक के रूप में पदस्थापित था। कारण बताओ सूचना और समाप्ति का आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना के कार्यालय से शुरू किया गया था और तब तक उसने विभाग में 16 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की थी।

11. इसके अतिरिक्त, यह ध्यान दिया गया है कि कारण बताओ सूचना लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 527/05 और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार, पटना के पत्र संख्या 769 दिनांक 23.07.2005 के संदर्भ में जारी की गई थी। उपरोक्त संदर्भित लेटर्स पेटेंट अपील और पत्र का संदर्भ अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कारण बताओ सूचना में, निदेशालय से नियुक्ति जारी न होने के संबंध में डीडीएचआरडी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्यों न उसे सेवा से समाप्त कर दिया जाए। दिनांक 27.09.2005 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने पर, अन्य बातों के साथ-साथ यह बताते हुए समाप्ति का आदेश पारित किया गया कि अपीलकर्ता की नियुक्ति डीडीएचआरडी द्वारा जारी की गई थी और नियुक्ति सचिवालय से जारी नहीं की गई है। कार्यालय पत्र का संदर्भ देने के अतिरिक्त, यह कहा गया कि निदेशालय ने नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया है, इसलिए यह अपीलकर्ता द्वारा जाली है। समाप्ति के आदेश में, विभाग के दिनांक 12.06.1981 के पत्र संख्या 17127 के निर्देशों का भी सन्दर्भ दिया गया है, जिसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 02.12.1980 के पत्र संख्या 3/आर-1-103/73-7605 और 16440 में निहित निर्देशों का पालन करते हुए जिला स्तर पर तृतीय श्रेणी

के पदों पर नियुक्ति की जा सकती है।

12. इन सभी दस्तावेजों, आदेश में उल्लिखित समाप्ति के कारणों और प्रतिशपथ पत्र में किए गए कथनों का विश्लेषण करने पर, यह स्पष्ट है कि नियुक्ति आदेश बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी किया गया था, और अपर निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित था न कि डीडीएचआरडी द्वारा। इस प्रकार, प्रत्यक्ष तौर पर, समाप्ति के आदेश में दिया गया पहला कारण कि नियुक्ति डीडीएचआरडी द्वारा जारी की गई थी, गलत है। इसके अलावा, डीडीएचआरडी के दिनांक 08.09.2005 के पत्र संख्या 994 के संदर्भ में, यह कहा गया है कि नियुक्ति सचिवालय स्तर पर जारी नहीं की गई है, जो कि प्रतिशपथ पत्र में लिया गया बचाव नहीं है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 12.06.1981 और 02.12.1980 के विभागीय पत्रों में निहित निर्देशों के संदर्भ भी इस मुद्दे के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, जो केवल यह निर्धारित करते हैं कि तृतीय श्रेणी के पद पर नियुक्ति उसमें निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करते हुए जिला स्तर पर की जा सकती है। दायर प्रतिशपथ पत्र में, यह नहीं कहा गया है कि अपीलकर्ता की नियुक्ति कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी। उपरोक्त चर्चाओं से, समाप्ति के आदेश में दिए गए कारण तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और बाहरी विचारों पर आधारित हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

13. इस संबंध में, प्रतिशपथ पत्र में लिया गया यह तर्क कि नियुक्ति डीडीएचआरडी द्वारा जारी की गई थी न कि निदेशालय से, सही नहीं है। नियुक्ति पत्र के अवलोकन से स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसे बिहार सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी किया गया था और अपर निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, जिसका अर्थ यह है कि नियुक्ति या तो निदेशालय स्तर पर या सरकार के स्तर पर जारी की गई है न कि डीडीएचआरडी के स्तर पर। इसलिए, इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत और स्वतः ही अवैध हैं।

14. इसके अतिरिक्त, यह भी देखना है कि बिहार सरकार/निदेशालय के कार्यालय से जारी नियुक्ति आदेश को जिला शिक्षा पदाधिकारी के एक आदेश द्वारा, मात्र एक कारण बताओ सूचना जारी करके और किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना शून्य नहीं किया जा सकता है।

15. चूँकि उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए धोखाधड़ी के तर्क को आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, अतः उक्त तर्क के आधार पर विचार करने की आवश्यकता है। दिनांक 19.09.2005 का कारण बताओ सूचना ज्ञापन, लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 527/05 और दिनांक 23.07.2005 के पत्र संख्या 769 के संदर्भ में है। उक्त ज्ञापन की विषय-वस्तु के अनुसार, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र संख्या 1126 दिनांक 31.08.2005 के माध्यम से डीडीएचआरडी से कुछ जानकारी मांगी थी, जिसे पत्र संख्या 994 दिनांक 08.09.2005 के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह दर्शाया गया था कि नियुक्ति ज्ञापन संख्या 365 दिनांक 24.06.1989 (जिसे गलती से दिनांक 29.06.1989 के रूप में उल्लेखित किया गया है) निदेशालय से जारी नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष और मांगे गए प्रतिवेदन में लिया गया तर्क यह है कि उक्त अभिलेख का पता नहीं चल पा रहा है। सरकार का यह तर्क नहीं है कि चयन और नियुक्ति नहीं हुई है, और न ही यह कि ऐसे चयन का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले में जहाँ अभिलेख का पता नहीं चल पाता है, वह स्वतः ही नियुक्ति को जाली या मनगढ़ंत नहीं बना देगा। जैसा कि कंडिका 13 में चर्चा की गई है, नियुक्ति आदेश दिनांक 24.06.1989 सरकार/निदेशालय स्तर पर जारी किया गया था, इसलिए, चयन की प्रक्रिया और नियुक्ति आदेश के अस्तित्व से इनकार किए बिना नियुक्ति ज्ञापन के जारी न होने के संबंध में डीडीएचआरडी का पत्राचार किसी काम का नहीं है।

16. सेवा समाप्ति के आदेश को 2006 में उच्च न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट आदेश

याचिका में चुनौती दी गई थी, जिसका निर्णय 2018 में हुआ था। विनिर्दिष्ट आदेश याचिका के लंबित रहने के दौरान, नियुक्ति के संबंध में अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 27.07.2011 को निर्देश जारी किए गए थे। जिसके अनुसरण में, केवल एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रतिवेदन केवल डीडीएचआरडी के पत्राचार का संदर्भ देता है जैसा कि कारण बताओ ज्ञापन में संदर्भित है। लेटर्स पेटेंट अपील दायर करने पर, दिनांक 27.07.2011 के आदेश के अनुसरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन का संदर्भ दिया गया है। यह विवेक का विषय है कि जब राज्य सरकार द्वारा जालसाजी या धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, तो उसका कुछ आधार होना चाहिए। किसी अधिकारी का केवल यह पत्राचार कि नियुक्ति ज्ञापन जारी नहीं किया गया है, ऐसी धोखाधड़ी को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से तब जब ऐसी नियुक्ति एक विज्ञापन के अनुसरण में की गई थी, और सेवा समाप्त करते समय यह कहा गया है कि नियुक्ति आदेश अक्षम प्राधिकारी, अर्थात डीडीएचआरडी द्वारा जारी किया गया था।

17. चूँकि सेवा समाप्ति धोखाधड़ी के आरोप पर आधारित है जिसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए यह उल्लेख करना आवश्यक है कि धोखाधड़ी के ऐसे आरोप को कब सिद्ध किया जा सकता है। इस संबंध में, हमें यह देखना होगा कि धोखाधड़ी क्या है। **पी. रामनाथ अय्यर द्वारा 'एडवांस लॉ लेक्सिकॉन', तृतीय संस्करण 2005** के अनुसार, **"धोखाधड़ी"** *का अर्थ है और इसमें अनुबंध के किसी पक्ष द्वारा, या उसकी मिलीभगत से, या उसके अभिकरण द्वारा, उसके किसी अन्य पक्ष या उसके अभिकरण को धोखा देने के आशय से, या उसे अनुबंध में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से किया गया निम्नलिखित में से कोई भी कार्य शामिल है:- (1) किसी ऐसे तथ्य का सुझाव देना जो सत्य नहीं है, उस व्यक्ति द्वारा जिसे उसके सत्य होने का विश्वास नहीं है; (2) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना जिसे तथ्य का ज्ञान या विश्वास हो; (3) इसे पूरा करने के किसी भी इरादे के बिना किया*

गया वादा; (4) धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य; (5) कोई भी ऐसा कार्य या लोप जिसे कानून विशेष रूप से धोखाधड़ी घोषित करता है।

18. वर्तमान मामले के तथ्यों में, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, धोखाधड़ी के किसी भी तत्व को शामिल करने वाला कोई भी अभिवचन या आधार प्रस्तुत या सिद्ध नहीं किया गया है। ***लाजरस एस्टेट्स लिमिटेड बनाम बीस्ले: (1956) 1 क्यूबी 702*** के मामले में, धोखाधड़ी के प्रभाव और इसके महत्व पर चर्चा की गई है। डेनिंग, एल.जे. ने निम्नानुसार कहा है:

> *"...इस देश का कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को उस लाभ को रखने की अनुमति नहीं देगा जो उसने धोखाधड़ी से प्राप्त किया है। न्यायालय का कोई भी निर्णय, किसी मंत्री का कोई भी आदेश, यदि वह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, तो उसे टिकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। धोखाधड़ी सब कुछ उजागर कर देती है। न्यायालय तब तक धोखाधड़ी नहीं पाती जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से अभिवचित और सिद्ध न किया गया हो; लेकिन एक बार सिद्ध हो जाने पर, यह निर्णयों, अनुबंधों और सभी प्रकार के लेन-देन को दूषित कर देती है..."*

19. इस न्यायालय ने ***राम चंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी और अन्य: (2003) 8 एससीसी 319*** के मामले में उक्त टिप्पणियों पर विचार किया है, जिसमें न्यायालय ने चर्चा की कि धोखाधड़ी क्या होगी:

> *"...धोखाधड़ी पत्र या शब्दों द्वारा किया गया एक ऐसा आचरण है, जो दूसरे व्यक्ति या प्राधिकारी को पूर्व के आचरण के जवाब में या तो शब्द या पत्र द्वारा एक निश्चित निर्णयात्मक रुख अपनाने के लिए प्रेरित करता है।"*

20. ***डेरी बनाम पीक: (1889) 14 एसी 337*** के मामले में भी, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने अवलोकन किया कि धोखाधड़ी के मामले में, व्यक्ति की ओर से वास्तविक धोखाधड़ी सिद्ध होनी चाहिए। इसे तब सिद्ध कहा जाएगा जब यह दिखाया जाए कि कोई गलत प्रस्तुतीकरण जानबूझकर, या उसकी सत्यता पर विश्वास किए बिना, या लापरवाही से, उसकी सत्यता या असत्यता की परवाह किए बिना किया गया है। इस संबंध में, लापरवाही से और इसके सत्य होने के विश्वास के उचित आधार के बिना दिया गया कोई भी गलत बयान धोखाधड़ी का साक्ष्य हो सकता है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि यह अनिवार्य रूप से धोखाधड़ी की श्रेणी में आएगा। इसकी सत्यता में ईमानदार विश्वास के साथ दिया गया कोई भी बयान धोखाधड़ी नहीं है और यह व्यक्ति को धोखाधड़ी वाले कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं बनाएगा।

21. जैसा कि ऊपर कंडिका 11, 12, 13, 14 और 15 में चर्चा की गई है, कथित धोखाधड़ी के किसी भी तत्व को निर्दिष्ट करते हुए धोखाधड़ी का कोई आधार तैयार करने वाला कोई भी अभिवचन स्थापित नहीं किया गया है। यह कहना सर्वविदित है कि धोखाधड़ी के किसी भी आरोप के बिना, केवल 'धोखाधड़ी' शब्द का उपयोग करना पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने यह समझने का ध्यान रखा है कि "धोखाधड़ी" का आरोप अभिलेख से प्रत्यक्ष है या नहीं। प्रभावी न्यायनिर्णयन के लिए, अपीलकर्ता की नियुक्ति और कार्यप्रणाली से संबंधित मूल अभिलेखों को दिनांक 22.01.2024 को तीन सप्ताह की अवधि के भीतर मंगवाया गया था। सरकार ने दिनांक 16.02.2024 को उक्त अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए और समय माँगा था, लेकिन उन्हें प्रस्तुत नहीं किया गया। हालाँकि, दिनांक 12.02.2025 को अभिलेख प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान करते हुए, यह अवलोकन किया गया था कि अभिलेख प्रस्तुत करने में विफल रहने पर प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और उचित आदेश पारित किए जाएंगे। फिर भी, अवलोकन हेतु हमारे समक्ष कोई अभिलेख नहीं रखा गया। यह गौर

करने वाली बात है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा भी दिनांक 27.07.2011 को निर्देश जारी किया गया था, लेकिन प्रधान सचिव के प्रतिवेदन और शपथ पत्र के अलावा कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। जिन मामलों में बिना किसी आधार के धोखाधड़ी का केवल आरोप लगाया गया है, और फिर न्यायालय द्वारा ऐसे आरोपों का आकलन करने के लिए अभिलेख मंगवाए गए हैं, तो अवलोकन हेतु उन्हें प्रस्तुत करना विभाग के प्रमुख का अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अन्यथा, तथ्यों के अनुसार, यह उन पर निर्भर था कि वे एक आंतरिक जाँच करें और पता लगाएं कि चयन की प्रक्रिया की गई थी या नहीं। विभाग के प्रमुख का यह भी कर्तव्य था कि वे ऐसे अभिलेख को न्यायालय के समक्ष रखें। वर्तमान मामले में, यदि उक्त अभिलेख का पता नहीं चल पा रहा था, तो यह विभाग का कर्तव्य है कि वह यह पहचान करे कि ऐसे अभिलेख को गायब करने के लिए कौन जिम्मेदार है, और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध इस संबंध में जाँच की जानी चाहिए थी और उस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। इसके अभाव में, अभिलेख का पता न चलने का मात्र तर्क अपर्याप्त है। इस प्रकार, कई अवसर प्रदान करने के बावजूद, जिसके परिणामस्वरूप अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, उपरोक्त तथ्यों में, हम उत्तरदाताओं के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हैं।

22. उपरोक्त के आलोक में, अभिवचन या प्रतिशपथ पत्र में धोखाधड़ी के किसी भी आधार के अभाव में, हम धोखाधड़ी के ऐसे तर्क को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश में उल्लिखित सेवा समाप्ति का कारण भी अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों के विपरीत है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें नियुक्ति के बाद अपीलकर्ता ने 16 वर्षों से अधिक समय तक नियमित रूप से कार्य किया है और विभाग द्वारा उसे नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया गया था, जो कि एक तथ्य है। इस नाते, उसने स्थायी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसके पश्चात, केवल

एक लेटर्स पेटेंट अपील और नियुक्ति आदेश जारी न होने के संबंध में विभाग के पत्राचार का संदर्भ देकर इस तरह की कारण बताओ सूचना जारी करना अनुचित है। क्योंकि, जारी न होने का उल्लेख करने वाला मात्र एक पत्राचार धोखाधड़ी के आरोप को साबित करने और सेवा से समाप्ति की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी दृष्टि में, केवल यह कोरा बयान कि नियुक्ति जाली दस्तावेज या धोखाधड़ी पर आधारित थी, पर्याप्त नहीं है। सेवा के इतने लंबे समय के बाद, यदि विभाग की यह राय थी कि नियुक्ति का आदेश अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, तो नियुक्ति आदेश जारी करने में कथित जालसाजी की जाँच के लिए एक जाँच की जानी चाहिए थी। ऐसी किसी भी जाँच के अभाव में, सेवा समाप्ति की ओर ले जाने वाले धोखाधड़ी और जालसाजी के ऐसे आरोप अनुचित हैं।

23. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तथ्यों और परिस्थितियों में, एक अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है कि समाप्ति का आदेश एक ऐसे तर्क पर आधारित है जो तथ्य और अभिलेख पर स्वतः ही असमर्थनीय है। धोखाधड़ी के आरोप को न तो अभिवचित किया गया है और न ही सिद्ध किया गया है। ऐसे आरोप की कोई भी जाँच किए बिना, समाप्ति का आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है। विद्वान एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष भी उपरोक्त तथ्यों पर उचित विचार किए बिना हैं और ठोस तर्क पर आधारित नहीं हैं, इसलिए, अपास्त किए जाने योग्य हैं।

24. तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हैं और समाप्ति के आदेश को अभिखंडित करते हैं। अपीलकर्ता को सेवा समाप्ति की तिथि से उसकी बहाली तक 50% की सीमा तक पिछले वेतन के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलकर्ता सभी परिणामी लाभों का भी हकदार होगा। तथ्यों के आलोक में, हम उत्तरदाताओं के लिए यह विकल्प खुला छोड़ते हैं कि यदि कोई हो, तो वे कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपीलकर्ता के

विरुद्ध उचित कार्रवाई कर सकते हैं।

25. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित माना जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय वाद का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

† *निर्णय-सार लेखन:* दिव्या पाण्डे

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।